<u>डिस्कलेमर</u>

अंतरिम आदेश संख्या 21/2021-22 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आदेश संख्या 21/2021-22

ऐरा भवन,
प्रशासनिक परिसर,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली – 110003.

जारी करने की तारीख : 01 अक्तूबर, 2021

सेवा : ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं
सेवा प्रदाता : मैसर्स ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेज (पुणे) प्राइवेट लिमिटेड
हवाईअड्डा : पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, पुणे

मैसर्स ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेज (पुणे) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, पुणे में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए 01.10.2021 से 31.03.2022 तक के लिए तदर्थ टैरिफ के निर्धारण के मामले में

मैसर्स ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स बीएजीएस ग्राउंड सर्विसेज कॉ. लिमिटेड के सह-संघ का चयन हवाईअड्डा प्रचालक अर्थात भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, पुणे में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया है। आरएफपी की अपेक्षाओं के अनुसार मैसर्स ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेज (पुणे) प्राइवेट लिमिटेड नामक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) को पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, पुणे में वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से दस (10) वर्ष की अवधि के लिए 21.02.2021 को सम्मिलित किया गया है।

2. इस संबंध में एसपीवी, मैसर्स ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेज (पुणे) प्राइवेट लिमिटेड (जीएफएचएसपीएल) ने दिनांक 28.09.2021 की ई-मेल द्वारा पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर उनकी ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं (दिनांक 01.10.2021 से प्रारंभ करने के लिए प्रस्तावित) के लिए उनकी नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने की अवधि तक पुणे में एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (पहले एआईएटीएसएल) नामक अन्य ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाता के लिए यथा अनुमोदित समान टैरिफ की अनुमति देने के लिए प्राधिकरण से संपर्क किया है।

3. मैसर्स ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेज (पुणे) प्राइवेट लिमिटेड (जीएफएचएसपीएल) ने प्राधिकरण को सूचित किया है कि उन्होंने प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए एमवाईटीपी/एटीपी तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसे शीघ्र प्रस्तुत कर देंगे। प्राधिकरण ने नोट किया है कि एएआई द्वारा जारी दिनांक 12.01.2021 के कार्य सौंपने के आशय पत्र (एलओआईए) के अनुसार एसपीवी द्वारा द्वारा बीसीएएस से अपेक्षित सुरक्षा अनुमति प्राप्त करने की तारीख को एलओआईए को कार्य सौंपने के पत्र (एलओए) के रूप में समझा जाएगा। इस संबंध में बीसीएएस के पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए वैध दिनांक 22.07.2021 के पत्र द्वारा अपेक्षित सुरक्षा अनुमति की प्रति भी प्रस्तुत की गई है।

4. प्राधिकरण ने अनुरोध की जांच करके मैसर्स ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेज (पुणे) प्राइवेट लिमिटेड (जीएफएचएसपीएल) को पुणे में एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (पहले एआईएटीएसएल - देखें: दिनांक 14.02.2020 का आदेश संख्या 23/2019-20 और दिनांक 25.03.2021 के अंतरिम आदेश संख्या 67/2020-21 और दिनांक 15.09.2021 का 18/2021-22 द्वारा आगे विस्तारित) नामक अन्य ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाता के लिए यथा अनुमोदित मौजूदा टैरिफ 01.10.2021 से 31.03.2022 तक या नियमित ग्राउंड हैंडलिंग टैरिफ का निर्धारण किए जाने तक, जो भी पहले हो, वसूल करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

आदेश

5. रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:-

(i) मैसर्स ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेज (पुणे) प्राइवेट लिमिटेड को पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, पुणे में 01.10.2021 से 31.03.2022 तक या प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए नियमित ग्राउंड हैंडलिंग टैरिफ का निर्धारण होने तक, जो भी पहले हो, ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए संलग्नक -**I** में दिए गए कार्ड के अनुसार एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (पहले एआईएटीएसएल) नामक अन्य ग्रांउड हैंडलिंग सेवा प्रदाता के लिए यथानुमोदित मौजूदा टैरिफ, तदर्थ आधार पर, वसूल और संग्रहित करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) एसपीवी मैसर्स ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेज (पुणे) प्राइवेट लिमिटेड (जीएफएचएसपीएल) द्वारा नॉन शेड्यूल प्रचालनों के लिए वसूली गई टैरिफ ऐरा द्वारा 'समान श्रेणी के विमान' के शेड्यूल्ड प्रचालनों के लिए अनुमोदित टैरिफ से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) ऊपर बताए अनुसार अनुमोदित टैरिफ ग्राउंड हैंडलिंग सेवा के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ होगी। अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

(iv) हवाईअड्डा प्रचालक आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

श्रीमती सरिता कुमारी,
प्रबंध निदेशक
मैसर्स ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेज (पुणे) प्राइवेट लिमिटेड (जीएफएचएसएल)
संख्या 101, अमृत सिद्धी अपार्टमेंट, लक्ष्मी पार्क,
भिडे हॉस्पीटल के पीछे, नवी पेठ पुणे, महाराष्ट्र - 411030

प्रतिलिपि:

(i) हवाईअड्डा निदेशक पुणे, पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा;

(ii) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली -110003